संख्या-81/2022/I/190724/2022/001-71-2099-20-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 18 जुलाई, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या -31 के अन्तर्गत संस्थान के मानक मद 26-मशीने ओर सज्जा/उपकरण और संयंत्रों की सूची अनुमोदित किये जाने एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-डीआईआर/सीआई/38/134/2022, दिनांक 29-06-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान के विभिन्न विभागों के लिए उपकरण एवं संयंत्र की सूची अनुमोदित किये जाने एवं प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ में क्रय हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों को अनुमोदित करते हुए इनके क्रय हेतु अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड़ मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते /प्रतिबन्ध

1. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही संबंधित उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान के स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
2. प्रस्तावित उपकरणों के क्रय से पूर्व उनकी स्थापना हेतु आवश्यक स्थान, मानव संसाधन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थायें अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायेगी। आपूर्ति के उपरान्त तत्काल उपकरणों को स्थापित कराकर क्रियाशील किया जायेगा।
3. जिन उपकरणों के स्पेकशिफिकेशन निर्धारित कर दिये गये हैं, तदनुसार ही कार्यवाही की जायेगी तथा संस्थान हेतु उपकरण/संयंत्र मद में प्राविधानित सीमा तक ही उपकरणों का क्रय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में प्राविधानित धनराशि से अधिक का आहरण/व्यय नहीं किया जायेगा।

4. स्वी्कृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचाकिताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।
5. स्वींकृत धनराशि को बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
6. स्वींकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्याकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
7. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेंदारी निदेशक /वित्त नियंत्रक/ संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।
8. वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा संबंधित विभागाध्यमक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त/कर लेगें कि प्रस्ता्वित उपकरण किसी एक विशेष कम्पानी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्चक स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियॉ (Technical Specification) का यथासम्भव समावेश किया जाये।
10. संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योसरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस जेम पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निदेशक/वित्त नियंत्रक, संस्थांन द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना निदेशक/वित्त अधिकारी/ विभागाध्याक्ष की जिम्मेदारी होगी।
13. संस्थान के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।
14. उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताऐं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात, यदि उपकरण क्रय के पश्चा्त धनराशि की बचत होती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किए जाने वाले अन्य उपकरणों में तदनुसार समायोजित किया जायेगा।
15. उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्तत कर किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
17. प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य के शिडयूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित की जाए।
18. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्याकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
19. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किया जाना चाहिए। क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व आडिट आदि की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था की होगी।
20. धनरशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, कल्याण सिंह सुपर स्पेतशियलिटी कैंसर संस्थान द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।
21. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व निदेशक, संस्थान एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031055900 कैंसर संस्थान, लखनऊ **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-81 /2022/I/190724/2022/001-71-2099-20-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज
4. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन सेल, चिकित्सा/ शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
6. वित्त नियंत्रक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्था न, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-81/2022/I/190724/2022/001-71-2099-20-2021, दिनांक 18 जुलाई, 2022 का संलग्नक

सूची-अ (मानकीकृत)

F.Y. 2022-23 (Soochi)					
S No.	**Name of equipment /Instrument**	**Department**	**Qty Required**	**Unit cost (INR)**	**Total Cost (INR) In Lakhs**
1	Hot air oven	IHBT	1	1.50	1.50
2	Single channel micropipette	IHBT	5	0.60	3.00
3	Aneasthesia workstation	Anesthesiology	3	25.00	75.00
4	5 Para Monitor	Aneasthesiology	3	15.00	45.00
5	Patient Controlled Analgesia (PCA Pump)	Aneasthesiology	2	2.00	4.00
6	Routine Flow Fluid Warmer	Aneasthesiology	5	2.00	10.00
7	DVT Pump	Aneasthesiology	4	2.50	10.00
8	Defibrator	Aneasthesiology	3	5.00	15.00
9	Fibreoptic Bronchoscope (Adult)	Aneasthesiology	1	10.00	10.00
10	Video Laryngoscope	Aneasthesiology	5	2.00	10.00
11	Biosafety Cabinet	Paediatric	1	10.00	10.00
12	Table Top Centrifuge	Pathology	2	0.25	0.50
13	Microscope	Microbiology	4	1.00	4.00
				Total	198.00

सूची-ब (गैर मानकीकृत)

F.Y. 2022-23 (Non Soochi)					
S No.	**Name of equipment /Instrument**	**Department**	**Qty Req.**	**Unit cost (INR)**	**Total Cost (INR) In Lakhs**
1.	C Arm	Neurosurgery	1	150.00	150.00
2.	Battery Operated Drill, saw and ream system	Orthopaedics	1	35.00	35
3.	Radiofrequency Ablation machine	Aneasthesiology	1	65.00	65
4.	Oromaxillofacial onco surgery set	Dentistry (OMFS)	2	08.00	16
5.	4K Laparoscope with ICG (3D optional) with accessories	Surgical Oncology	1	150.00	150
6.	Radical Hysterectomy Set	Gynaecology Oncology	1	20.00	20
7.	Abdominal Hysterectomy Set	Gynaecology Oncology	2	4.00	8
8.	D&C Set	Gynaecology Oncology	4	2.00	8
9.	Cervical Set	Gynaecology Oncology	4	2.00	8
10.	Examination Set	Gynaecology Oncology	5	1.00	5
11.	Hysteroscope	Gynaecology Oncology	1	30.00	30
12.	Binocular Coloposcopce	Gynaecology Oncology	1	30.00	30
13.	Thermal Ablator	Gynaecology Oncology	1	10.00	10

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14.	Binocular Microscope	Pathology	3	3.00	9
15.	Semi Automatic Tissue Processor	Pathology	1	30.00	30
16.	Microtome	Pathology	1	20.00	20
17.	Block Cabinet	Pathology	2	0.20	0.4
18.	Thermo Mixer	Microbiology	1	6.00	6
19.	Vortex Mixer	Microbiology	3	0.50	1.5
20.	Minispin	Microbiology	1	5.00	5
21.	PCR Plate Centrifuge	Microbiology	1	8.00	8
22.	Regent Refrigerator 1000 Lit.	Microbiology	2	5.00	10
23.	Semi Micro Analytical Balance	Microbiology	1	5.00	5
24.	Ice Making Machine	Microbiology	1	1.00	1
25.	Fogging Machine	Microbiology	2	0.50	1
26.	Automated Molecular Analysis for HPV by DNA Hybridization	Microbiology	1	25.00	25
27.	Gradient PCR	Microbiology	1	13.00	13
28.	UV-vis Spectrophotometer	Microbiology	1	14.00	14
29.	Gx Module Upgrade for CBNAAT	Microbiology	1	9.00	9
30.	Apheresis machine	IHBT	1	34.00	34
31.	Sterile connecting device	IHBT	1	13.00	13
32.	Haematology analyser	IHBT	1	7.00	7
33.	Semi automated coagulation analyser	IHBT	1	2.50	2.5
34.	Deep freezer -40 degree C	IHBT	1	12.00	12
35.	Refrigerated centrifuge (blood bags)	IHBT	1	48.00	48
36.	Deep freezer -80 degree C	IHBT	1	17.00	17
37.	Automatic component preparation machine	IHBT	1	24.00	24
38.	Chemiluminescence based technology for TTI testing	IHBT	1	38.00	38
39.	Laboratory centrifuge	IHBT	3	6.50	19.5
40.	Digital centrifuge and incubator for column agglutination technique	IHBT	2	5.00	10
41.	Transportation boxes for blood bags	IHBT	2	5.00	10
42.	Donor couch	IHBT	5	4.00	20
43.	Blood collection monitor	IHBT	4	3.00	12
44.	Binocular microscope	IHBT	1	1.00	1
45.	Platelet aggitator cum incubator	IHBT	2	7.5	15
46.	Bench top tube sealer	IHBT	4	3.00	12
47.	Bucket equalizer	IHBT	1	1.50	1.5
48.	Manual plasma expressor	IHBT	2	0.40	0.8
49.	Plasma thawer	IHBT	1	10.00	10
50.	VDRL shaker	IHBT	1	0.25	0.25
51.	Lab incubator	IHBT	3	1.50	4.5
52.	Laminar Air flow cabinet	IHBT	1	2.50	2.5
53.	Autoclave	IHBT	1	4.00	4
54.	pH meter	IHBT	1	0.25	0.25
55.	Reagent refrigerator	IHBT	4	4.00	16
56.	Tube sealer hand held	IHBT	2	2.50	5
57.	Cryoprecipitate bath	IHBT	1	3.50	3.5

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

58.	Digital hemoglobinometer	IHBT	2	0.40	0.8
59.	Tube stripper	IHBT	8	0.20	1.6
60.	Rh view box	IHBT	2	0.15	0.3
61.	Furniture (hospital / office)				240
62.	Computer, printer and other IT related items				123
63.	Miscellaneous (taxes, previous year and covid liabilities, unlisted items, etc.)				400.10
				Total	1802
		Grand Total =Soochi+Non-Soochi			2000

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।